

योजना का नाम :- जनपद देहरादून के विकास खण्ड डोईवाला के गुमानीवाला क्षेत्र में विश्व बैंक पोषित अर्द्धनगरीय (पैरी अरबन) पेयजल योजना, गुमानीवाला के निर्माण हेतु 0.25 है0 वन भूमि का उत्तराखण्ड जल संस्थान, ऋषिकेश को हस्तान्तरण।

एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05-02-2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन0पी0वी0 की देयता निम्नानुसार है :-

1. ईको-क्लास श्रेणी..... Ist
2. हरियाली का घनत्व..... 0.2
3. एन0पी0वी0 की दर प्रति हे0 @ 730000 = ७३०००० रुपये
4. आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल..... 0.25 है0
5. कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि = 1,82,500 = १,८२,५०० रुपये मात्र
(एक लाख बयासी हजार पाँच सौ रुपये)


वन क्षेत्राधिकारी
ऋषिकेश
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून


प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग,
देहरादून


प्रतिहस्ताक्षरित
उप प्रभागीय वनाधिकारी
ऋषिकेश
देहरादून वन प्रभाग

प्रपत्र-43

योजना का नाम :- जनपद देहरादून के विकास खण्ड डोईवाला के गुमानीवाला क्षेत्र में विश्व बैंक पोषित अर्द्धनगरीय (पैरी अरबन) पेयजल योजना, गुमानीवाला के निर्माण हेतु 0.25 है० वन भूमि का उत्तराखण्ड जल संस्थान, ऋषिकेश को हस्तान्तरण।

एन०पी०वी० की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा० उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में कोई बढोतरी की जाती है तो एन०पी०वी० की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग की माँग के अनुसार किया जायेगा।

Jame

अधिसासी अभियन्ता
(अनुरक्षण खण्ड)
उत्तराखण्ड जल संस्थान
देहरादून।

Executive Engineer (F.I.)
Maintenance Division
Uttarakhand Jal Sansthan
Dehradun